

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,

वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय,

राजकीय/निजी महाविद्यालय,

राजस्थान

विषय- वर्ष 2024-25 हेतु विभाग द्वारा जारी स्कूटी योजनाओं की अंतिम वरीयता सूची में चयनित छात्राओं के आवेदन छात्राओं से आक्षेप पूर्ति, नोडल महाविद्यालय द्वारा जांच के संबंध में।

वर्ष 2024-25 हेतु विभाग द्वारा जारी निम्नलिखित स्कूटी योजनाओं की अंतिम वरीयता सूची में चयनित छात्राओं के आवेदन छात्राओं से आक्षेप पूर्ति, नोडल महाविद्यालय द्वारा जांच हेतु पोर्टल की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	योजना का नाम	विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु अंतिम तिथि	नोडल महाविद्यालय द्वारा जांच हेतु अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2024-25 (12वीं उत्तीर्ण) छात्राओं हेतु- 1. उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), 2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग) 3. उच्च शिक्षा विभाग (ST वर्ग) 4. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग) 5. माध्यमिक शिक्षा विभाग (EBC वर्ग) 6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग हेतु)	दिनांक-05.05.2026 से दिनांक-07.05.2026 तक	दिनांक-05.05.2026 से दिनांक-08.05.2026 तक
2	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2024-25 (10वीं उत्तीर्ण) छात्राओं हेतु (ST वर्ग)	दिनांक-05.05.2026 से दिनांक-07.05.2026 तक	दिनांक-05.05.2026 से दिनांक-08.05.2026 तक
3	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2024-25	दिनांक-05.05.2026 से दिनांक-07.05.2026 तक	दिनांक-05.05.2026 से दिनांक-08.05.2026 तक

उक्त योजनाओं के अंतर्गत आक्षेपित आवेदनकर्ता (छात्राओं) के दूरभाष पर व्यक्तिशः वार्ता कर आक्षेपों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करावें।

यदि किसी नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र छात्रा किसी प्रकार का कोई वाद दायर करते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(**डॉ. दिलीप कुमार गोयल**)

संयुक्त निदेशक

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2023-24/ई-08436/

दिनांक-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Dilip Kumar Goyal
Designation: Joint Director
Date: 2026.05.04 19:20:50 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21982779

M e-Sign